बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संख्या– वि०प्रा०(III)स्था०–(नियमावली)–11/2023 3788 पटना, दिनांक– 11/10/23

भारतीय–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिक,/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के गठन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।** – (1) यह नियमावली "**राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान,** प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) **संवर्ग नियमावली, 2023**" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में बिहार सरकार के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीनस्थ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक, एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों तक रहेगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. **परिभाषाएँ। – इस नियमावली में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–**

(i) "संवर्ग" से अभिप्रेत है नियम–4 में यथावर्णित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) संवर्ग,

(ii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार

(iii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग,

(iv) "निदेशालय" से अभिप्रेत है विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय,

(v) "विभाग" से अभिप्रेत है विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना,

(vi) "समिति" से अभिप्रेत है विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति,

(vii) "सीधी नियुक्ति" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जाने वाली नियुक्ति,

(viii) "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन बिहार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) संवर्ग में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति,

(ix) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,

(x) "रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवा निवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने के फलस्वरूप वर्ष की 1ली अप्रैल को उपलब्ध रिक्ति।

(xi) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि।

Jobs Wale Bhaiya

3. **स्वीकृत बल।** – इस संवर्ग का स्वीकृत बल समय समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

4. **राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान में प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) सेवा संवर्ग हेतु संवर्गीय संरचना।** –

4.1 संवर्ग के पद के लिए शैक्षणिक तथा अन्य अनिवार्य योग्यता/अहर्त्ता निम्नवत होगी –

क्रम सं०	पदनाम	प्रास्थिति एवं प्रोन्नति का स्तर	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता/अर्हत्ता
1	प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान)	मूल कोटि (अराजपत्रित)	शैक्षणिक योग्यता– विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अथवा Deemed/Deemed to be विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक (भौतिकी या रसायन या गणित में स्नातक) में प्राप्त डिग्री।
2	वरीय प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान)	प्रथम प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)	प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) के पद पर आठ वर्षों तक कार्यरत रहने के साथ उक्त अवधि में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (NITTTR) के द्वारा संचालित न्यूनतम चार सप्ताह का प्रशिक्षण।
3	प्रधान प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान)	द्वितीय प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)	वरीय प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) के पद पर 8 वर्षों तक कार्यरत रहने के साथ उक्त अवधि में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (NITTTR) के द्वारा संचालित न्यूनतम चार सप्ताह का प्रशिक्षण।

4.2 संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा जैसा समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

5. **रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना।** – प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर सरकार उस वर्ष के लिए राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों हेतु प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) के पदों पर सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगी एवं उसके अनुसार सीधी नियुक्ति से संबंधित रिक्तियों की अधियाचना आयोग को प्रेषित करेगी।

6. **सीधी भर्त्ती।** – संवर्ग के मूल पद अर्थात् प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) के पद पर सीधी भर्त्ती आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

Jobs Wale Bhaiya

7. **चयन प्रक्रिया।** – (क) प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) संवर्ग के मूल कोटि प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) के पदों पर नियुक्ति समय–समय पर यथानिर्धारित प्रावधानों के आलोक में आयोग की अनुशंसा से की जाएगी।

(ख) परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण आयोग द्वारा, विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

(ग) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित गैर निजी (केन्द्रीय, नगर निकाय, पंचायत आदि) संस्थान अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व में नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा समान पद पर प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 05 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता दी जायेगी। 06 माह से ज्यादा एवं 01 वर्ष से कम की अवधि को 01 पूर्ण वर्ष माना जायेगा।

(घ) लिखित परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम अर्हत्तांक प्राप्त अभ्यर्थी को ही संविदा अवधि की अधिमानता (Weightage) दी जायेगी।

8. **मेधा सूची का निर्माण।** – आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नवत प्रक्रिया के अनुसार तैयार की जायेगी।

(i) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिकतम अधिमानता 75 प्रतिशत होगी।

नोटः– परीक्षा में प्राप्त अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा।

$$\text{अर्थात् अधिमानता अंक} = \frac{\text{परीक्षा में प्राप्त अंक} \times 75}{100}$$

(ii) विभाग में संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता 25 अंक होगी।

(iii) उक्त दोनों (i & ii) में प्राप्त अंको को जोड़कर मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं रिक्त पद के लिए निर्धारित आरक्षण कोटि के अनुसार रिक्तियों को भरा जायेगा।

9. **परीक्ष्यमान अवधि/विभागीय परीक्षा/प्रशिक्षण।** – (i) सीधी भर्ती से नियुक्ति के उपरांत दो वर्षों तक परिक्ष्यमान अवधि रहेगी, जिसे लिखित रूप से अभिलेखित किए जा सकने वाले कारणो से अगले 01 वर्ष तक के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। परीक्ष्यमान अवधि किसी भी परिस्थिति में तीन वर्षो से अनधिक होगी। विस्तारित अवधि में भी सेवा असंतोषजनक पाए जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। परीक्ष्यमान अवधि सफलता पूर्वक पुरा करने एवं उक्त अवधि में सेवा संतोषजनक होने एवं राजस्व पर्षद द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा एवं निर्धारित कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत ही सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सेवा सम्पुष्टि हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लागू प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।

(2) परीक्ष्यमान अवधि के दौरान विभाग द्वारा विहित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10. **आरक्षण।** – इस सेवा में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित आरक्षण– रोस्टर से संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

Jobs Wale Bhaiya

11. **उम्र सीमा**। – संवर्ग में सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जैसा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

परन्तु, बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित गैर निजी (केन्द्रीय, नगर निकाय, पंचायत आदि) संस्थान अंर्तगत समान पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत रहे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा संविदा पर किये गये सेवा अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जायेगी।

12. **वरीयता**। – निदेशालय प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में इस संवर्ग के प्रत्येक पद के लिए विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की वरीयता सूची प्रकाशित करेगा। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता आयोग की अनुशंसा के मेधा क्रमानुसार निर्धारित की जाएगी। प्रोन्नति के पदों पर वरीयता का निर्धारण प्रोन्नति संबंधी आदेश से निर्धारित होगा। किसी एक आदेश से प्रोन्नत कर्मियों की आपसी वरीयता पिछले पदसोपान के वरीयता क्रम में निर्धारित की जाएगी।

13. **प्रोन्नति**। – **(i)** इस संवर्ग के सदस्यों को नियम–04 में उपबंधित प्रावधानों के अधीन विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति देय होगी। **(ii)** विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।

14. **निर्वचन**। – जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा और तद्नुसार निर्णित होगा।

15. **कठिनाईयों का निराकरण**। – नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का अंतिम निराकरण विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जायेगा।

16. **निरसन**। – (1) इस नियमावली के प्रवृत होने के साथ ही पूर्व निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई, इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव

Jobs Wale Bhaiya

ज्ञापांक– वि०प्रा०(III)स्था०–(नियमावली)–11/2023 3788 पटना, दिनांक– 11/10/23

प्रतिलिपिः–महालेखाकार बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अगले अंक में प्रकाशनार्थ/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग/सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/सभी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/विभाग के सभी पदाधिकारी/सचिव के आप्त सचिव/आई०टी०मैनेजर (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/10/2023

सरकार के संयुक्त सचिव

Jobs Wale Bhaiya